



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1639 वर्ष 2026

अशोक कुमार
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सीएससी	: नंदिनी पांडे, सत्य प्रकाश	प्रतिवादी के अधिवक्ता
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की बात सुनी।

2. इस रिट याचिका में निम्नलिखित राहतों की मांग की गई है:-

"(i) पंचायत सहायक, ग्राम बारात भोज, ब्लॉक अमरिया, जिला पीलीभीत के पद पर प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) याचिकाकर्ता के चयन पर विचार करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकरण को निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति का कोई अन्य रिट जारी किया जाए, जो कि अमरिया ब्लॉक, पीलीभीत के ग्राम बारात भोज में पंचायत सहायक के पद पर हो।

(iii) इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया जाए।

(iv) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

3. इस आधार पर रिट याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अनुच्छेद 5 में कहा है कि वह ग्राम बारात भोज, ब्लॉक अमरिया, जिला पीलीभीत का निवासी है। अतः याचिकाकर्ता का कोई अधिकार नहीं बनता।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि यदि प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति अवैध है और नियमों के अनुसार नहीं है, तो प्राधिकरण जांच करेगा और इस संबंध में आदेश पारित करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. अतः, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। याचिका का निस्तारण कर दिया गया है और प्रतिवादियों को जांच करने और कानून के अनुसार ही आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"